

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी (स्वशासी संस्था)

अधिष्ठाता नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर

क्रमांक/स्था/राज/अराज/स्व/2021/ 8120

जबलपुर, दिनांक-25/08/2021

//आदेश//

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र. के निर्देशानुसार एन.एच.एम. के मापदण्डानुसार कोविड-19 (नोवेल कोरोना वायरस) महामारी से बचाव एवं वारोलॉजी लैब हेतु मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के अनुमोदन अनुसार कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक/स्था/राज/अराज/2021/7685 जबलपुर दिनांक 06/08/2021 के माध्यम से वैज्ञानिक-बी, एवं रिसर्च असिस्टेंट के पद पर दिनांक 30/09/2021 तक की अवधि हेतु अस्थाई नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये। आवेदन की स्कूटनी पश्चात् एवं चयन समिति की अनुशंसानुसार चयनित अभ्यर्थियों को कॉलम 4 में दर्शित पद पर एन.एच.एम. के मापदण्डानुसार वेतनमान में 30/09/2021 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पद
1	2	3	4
1	श्री श्रीकांत नेमा	डॉ. कमलेश कुमार नेमा	वैज्ञानिक-बी
2	कु. आस्था दुबे	श्री रजनी कांत दुबे	वैज्ञानिक-बी
3	कु. तनु बुधौलिया	श्री उमेश बुधौलिया	रिसर्च असिस्टेंट
4	कु. साक्षी जयसवाल	श्री राजेन्द्र जयसवाल	रिसर्च असिस्टेंट
5	श्री रीतेश कुमार द्विवेदी	श्री भौजाला द्विवेदी	रिसर्च असिस्टेंट

नियुक्ति हेतु शर्तें निम्नानुसार हैं।

1. यह सेवाएं पूर्ण रूप से अस्थाई होगी एवं आकस्मिक सेवाओं के रूप में ली जा रही हैं, अतः इन सेवाओं को, नियमित अथवा संविदा सेवा के लिये किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
2. यह सेवाएं एक निश्चित समयावधि 30/09/2021 तक के लिए ली जा रही है, जिसे आवश्यकता होने पर बढ़ाया/घटाया जा सकेगा। अतः निर्धारित अवधि पश्चात् आदेश स्वतः समाप्त माना जावेगा।
3. नियुक्ति कर्मचारी को नियुक्ति हेतु अनुबंध पत्र भरकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा अनुबंध पत्र जमा किये बिना कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा। (अनुबंध पत्र संलग्न है।)
4. उक्त मानव संसाधन की सेवाएं चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर अथवा COVID-19 Control Operation में ली जावेगी।
5. उक्त पदों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, नेताजी सुभाषचंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर होंगे।
6. चयनित अभ्यर्थी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, नेताजी सुभाषचंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर को समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उपलब्ध कराकर कार्य दायित्व संभालेंगे।
7. अनुबंध के निष्पादन पर होने वाले व्यय संबंधित सेवा प्रदाता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
ने.सु.च.बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर
(फोन न. 0761-2370951)

प्रतिलिपि:-

1. संचालक एन.आई.आर.टी.एच. दिल्ली।
2. संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल।
3. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ मध्यप्रदेश भोपाल
4. संचालक आई.सी.एम.आर. तिलवारा रोड जबलपुर।
5. मिशन संचालक, एन.एच.एम. भोपाल।
6. संभागायुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर।
7. कलेक्टर, जिला-जबलपुर की ओर।
8. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय जबलपुर।
9. नोडल अधिकारी कोविड-19 माइक्रोबायोलॉजी की ओर।
10. प्रभारी अधिकारी एन.एच.एम. मेडिकल कॉलेज जबलपुर।
11. प्रशासकीय अधिकारी मेडिकल कॉलेज जबलपुर।
12. स्थानीय लेखा शाखा मेडिकल कॉलेज जबलपुर।
13. श्री/श्रीमति/कु.....

की ओर

पालनार्थ।

11
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
ने.सु.च.वोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर
(फोन न. 0761-2370951)